रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर, 4 1988/आश्विन 12, 1910

No. 206] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1988/ASVINA 12, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 58 आई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1988

विषय:—एफ. ए. सी. टी. के कोचीन प्रभाग में अतिरिक्त प्लांट पावर जेनेरेशन सुविधाएं (12 मेगावाट स्टीम टरबाइन जेनेरेटर) लगाने के लिए 2,000 बिलियन येन क्रेडिट के अन्तर्गत उपस्कर/सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग शर्तें।

आई. पी. सी./23(46)/88-91 उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लि. (एफ. ए. सी. टी.) के कोचीन प्रभाग में अतिरिक्त प्लांट पावर जेनेरेशन सुविधाओं (12 मेगावाट स्टीम टरबाइन जेनेरेटर) की स्थापना के लिए 2,000 बिलियन येन क्रेडिट के अन्तर्गत उपस्कर/सेवाओं के आयातों को शासित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचित की जा रही है।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 58-(पी. एन.) 88-91 दिनांक 4-10-1988 का परिशिष्ट

एफ ए सी टी के कोचीन प्रभाग में अतिरिक्त प्लांट पावर जेनेरेशन सुविधाओं (12 मेगावाट स्टीम टरबाइन जेनरेटर) की स्थापना के लिए 2000 बिलियन येन क्रेडिट के अन्तर्गत उपस्कर/सेवाओं के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें :—

1(1) एफ. ए. सी. टी. के कोचीन प्रभागों की आयात आवश्यकता को वित्तपोषित करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ. ई. सी. एफ.) द्वारा प्रदान किया गया 2000 बिलियन येन का ऋण जापान और विकासशील देशों जिसमें भारत और ओ. ई. एफ. सी. के सभी सदस्य देश शामिल हैं के लिए खुला है— तदनुसार इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों (भारत सहित) से अधिप्राप्त की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन उन्हीं मदों और उसके मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी विकास

पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो । इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सों) येन का मूल्य 2.2000 बिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए ।

आयात लाइसेंस का रुपए में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतिक दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि सीमाशुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस(सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नाम डालेगा । लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण स. आई डी पी-51" होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जेसी" कोड होगा । एफ. ए. सी. टी. को आयात लाइसेंस भेजते समय एक प्रति वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए ।

1(3) लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल एफ. ए. सी. टी. के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

1(4) एफ. ए. सी. टी. की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं । लेकिन, कुल मूल्य येन 2.2000 बिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (2) में कहा गया है ।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि आयातक द्वारा आवेदन करने पर 12 महीनों की और आगे की अवधि के लिए दी जा सकती है। आगे और वृद्धि करने के लिए/नया आयात लाइसेंस जारी करने के लिए यदि कोई आवेदन हो तो उसे आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए ।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात/आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है ।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परिषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे ।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर निःशुल्क लागत और भाड़ा आधार पर दिए जाने चाहिए और ये आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए । बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में देय होगा "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदाओं । विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं या आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है ।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को नहीं पहुंच जाते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में क्रय उल्लिखित पक्के आदेश महीनों के भीतर वैध कारणों से जारी किए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते न कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबंद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, न दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे । जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे । लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और वित्तीय पदाधिकारी आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुल्य रुपया जमा कराने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे ।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं । माल के पोतलदान पर अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए:—

"साख पत्र की प्राप्ति के बाद ---------- महीने परन्तु अधिक से अधिक---------- के अन्त तक पूर्ण किया जाना है ।"

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-1992 के बाद की न हो ।

खण्ड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें:—

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए ।

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए ।

2(2) ऋण की रकम से वित्त पोषित किए जाने वाले सभी माल और सेवा ऋण के अन्तर्गत अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन सिद्धान्तों के अनुसार निम्नलिखित सम्पूरक शर्तों के साथ किए जाएंगे:—

(क) कम से कम 500 मिलियन येन के अनुमानित मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामले में:—

(1) यदि पूर्वअर्हता सहित औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाने का प्रस्ताव है तो अधिप्राप्ति की पद्धति के अनुमोदन के लिए ओ. ई. सी. एफ. को आवेदन पत्र प्रस्तुत करके उससे पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

(2) सफल बोलीकार को निर्णय का नोटिस जारी करने से पहले बोली मूल्यांकन रिपोर्ट सहित निर्णय के अनुमोदन के लिए आवेदन-पत्र ओ ई सी एफ को प्रस्तुत किया

जाएगा । निर्णय और बोली मूल्यांकन के अनुमोदन के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के साथ-साथ पूर्व अर्हता का मूल्यांकन रिपोर्ट, बोलीकारों को दिए गए नोटिस और अनुदेश, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित ठेका विशिष्टिकरण और ड्राइंग और मालों से संबंधित अन्य दस्तावेज ओ ई सी एफ को भी पुनरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(ख) 500 मिलियन येन से कम अनुमानित मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामले में ठेके के निर्णय के लिए ओ ई सी एफ के पूर्व अनुमोदन की इस शर्त पर आवश्यकता नहीं है कि निविदा का खेपें उचित रूप से विभाजित की गई हों। लेकिन यदि ओ ई सी एफ अनुरोध करें तो निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट आदि उसकी पुनरीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएंगी ।

(ग) ऊपर (क) (i), (क) (ii) और (ख) में उल्लिखित आवेदनपत्र/दस्तावेज आयातक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग को दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा ओ ई सी एफ को भेजे जाएंगे

2(3) विदेशी संभरक को भुगतान, उसके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1987-88 के लिए ओ. ई. सी. एफ. येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी-51 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए । जिसका ब्यौरा नीचे खण्ड 7 में दिया गया है ।

2(4) संभरक की पात्रता—संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होने या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होंगे ।

2(5) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात:—जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका विनिदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ऐसे उत्पाद प्रति एकक का मूल्य मदवार आधार पर आयातित भाग का 50 प्रतिशत से कम हो:—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य} + \text{आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर नि:शुल्क मूल्य}} \times 100''$$

(भारतीय संभरकों के मामले में एक्स फैक्टरी मूल्य अपनाया जाएगा)

2(6) संविदा में घोषणा.—प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा माल एवं संभरक की पात्रता और संभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी:—

"मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरी संभरित किया जाने वाला माल—————(पात्र स्रोत देश का नाम) में उत्पादित है ।"

"मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 50 प्रतिशत से कम है :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य} + \text{आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर नि:शुल्क मूल्य}} \times 100''$$

(जहां एक्स फैक्टरी मूल्य लागू हो)

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि—————(पात्र स्रोत देश का नाम) में —————————(कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है ।"

खण्ड-3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए ।

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच हल्दिया पत्तन आधुनिकीकरण परियोजना के लिए येन क्रेडिट सं. आई डी. पी-51 (परियोजना सहायता) से संबंधित 10 फरवरी, 1988 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट सं. आई. डी. पी.-51 से संबंधित 10 फरवरी, 1988 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे ।

(ग) संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ. ई. सी. एफ. द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हो ।

(घ) उपर्युक्त 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में) ।

(ङ.) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरक संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और पोतलदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड-4 ओ ई सी एफ द्वारा ठेके की पुनरीक्षा

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आयातक और संभरकों दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उसकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित और अनुबन्ध-2 के प्रपत्र में "प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन" की दो प्रतियां आर्थिक कार्य विभाग को भेजनी चाहिए ।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि ठेकों के उन सभी संशोधनों के लिए भी लागू होगी जिसके कारण ठेकों की विषयवस्तु या उसकी कीमत में संशोधन करना अनिवार्य हो ।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके की एक प्रति के साथ ठेके के निर्णय का नोटिस ओ ई सी एफ को पुनरीक्षा के लिए भेजेगा ठेके के निर्णय के नोटिस और ठेके की एक-एक प्रति आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय दूतावास टोकियो को और आयात लाइसेंस की फोटो कापी और "प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन" की एक प्रति के साथ सी ए ए एण्ड ए के कार्यालय को भेजी जाएगी ।

खण्ड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान साखपत्र क्रियाविधि

5(1) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से ठेके के निर्णय का नोटिस और ठेके के दस्तावेज प्राप्त होने पर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, बैंक आफ इंडिया की टोकियो शाखा को संबोधित संलग्न अनुबन्ध-3 में दिए गए प्रपत्र में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा जिसमें बैंक आफ इंडिया की टोकियो ब्रांच सम्बद्ध विदेशी संभरक के नाम में संलग्न अनुबन्ध-4 (आयातों के लिए) के प्रपत्र में या अनुबन्ध-5 (सेवाओं के लिए) के प्रपत्र में एक अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलेगी। प्राधिकार पत्र की प्रतियां ओ ई सी एफ भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक का बैंक, जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी।

5(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबन्ध-4 (आयात के लिए लागू होता है) या अनुबन्ध-5 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास टोकियो में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी. ए. ए. एण्ड ए. से प्राधिकार पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के संशोधन पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोतलदान कराने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साख-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि का विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रति-पूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

ओ ई सी एफ ठेके के मूल्य के 10 प्रतिशत (0.1) प्रतिशत के बराबर धनराशि प्राप्त करने पर वचनबद्धता पत्र जारी करेगा। यह धनराशि ओ ई सी एफ द्वारा स्वयं ऋण निधियों में से चुकाई जाएगी। ओ ई सी एफ या सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय से भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर, आयातक को वचनबद्धता पत्र के खर्चों की तुल्य धनराशि सरकारी लेखे में जमा करनी होगी। ओ ई सी एफ को भुगतान की तिथि से रुपया जमा करने की तिथि तक (दोनों तिथियां शामिल करके) ब्याज भी प्रचलित दर पर आयातक द्वारा चुकाया जाएगा।

आयातक द्वारा प्रतिपूर्ति क्रियाविधि के अन्तर्गत भी 0.1 प्रतिशत का इसी प्रकार का खर्चा चुकाया जाना है।

5(4) साखपत्र खोलने, उसके अधीन लेन-देन करने, विदेशी संभरक के बैंकर के प्रभारों सहित यदि कोई हो तो बैंकिंग खर्च संभरक/आयातक द्वारा वहन किए जाएंगे। आयातकों द्वारा आयातों के लागत के भुगतान की तिथि से ओ ई सी एफ द्वारा विदेशी संभरक को अदायगी की तिथि तक की अवधि के लिए गणना करके बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय ब्याज प्रभार भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में संबद्ध आयातकों के बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को धन प्रेषण करके चुकाया जाएगा।

5(5) प्रतिपूर्ति क्रियाविधि:—भारतीय संभरकों से माल और सेवाओं के वितरण के लिए प्रक्रिया ऋण समझौते की प्रतिपूर्ति क्रिया विधि के अनुसार होगी।

खण्ड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतिक अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज अग्रेषित करेगा और बैंकर इस बात को सुनिश्चित करेगा। पोतलदान दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया है। विदेशी संभरक को चुकाई गई येन भुगतान की समतुल्य रुपए की धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देय योग्य, ब्याज के प्रभारों सहित मुख्य अदायगी की राशि सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना संख्या 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 की शर्तों के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। यह भी नोट किया जाना चाहिए ब्याज दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, देय है, देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 और सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74

संभरक को किए जाने वाले भुगतानों की राशि और तारीख का सुनिश्चय करने के लिए आयातक को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। बैंक आफ इंडिया, टोकियो से आयातक के बैंक द्वारा पोत-परिवहन आदि दस्तावेजों की देरी और विलम्ब से प्राप्ति को रुपया निक्षेप पर लगने वाले ब्याज की आंशिक या पूर्ण धनराशि को समाप्त करने का कारण नहीं माना जाता है।

विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की यह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 109-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। इस सम्बन्ध में और ब्याज की दर के सम्बन्ध में भी अब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने ऋण-दाताओं से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही अब वे विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं। यदि आयातक सरकार को देय धनराशि के माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाए और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को दी जाए ताकि ऐसे आयातक को आगे और आयात लाइसेंस जारी न किए जाएं। जिस लेखाशीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपाजिट्स एण्ड एडवांसिज-843 सिविल डिपाजिटस डिपोजिटस फार परचेजिज एटसट्रा एब्राड अंडर क्रेडिटस परचेसस लोन एग्रीमेंटस "क्लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 2,000 बिलियन येन क्रेडिट सं. आई डी पी-51 फार कारबोन डिवीजन आफ पॉवर चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर कोने में कोड सं. 5130000009 का संकेत देते हुए सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/86, दिनांक 30-8-68 सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारत में सम्बद्ध बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 133-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण" और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूरे ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :--

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरण को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात् सी. ए. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:--भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि येन का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि उसके तत्काल बाद सी. ए. ए. एण्ड ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड--7 विधि व्यवस्थाएं

7(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा, परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

7(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना :--लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालते हैं।

7(3) विवाद :--यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध-2 में "भुगतान की शर्तें" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से संबंद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

7(4) भविष्य अनुदेश :--आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं. आई. डी. पी.--5 के अधीन सभी आभारों को विदेशी आर्थिक निधि, जापान (ओ. ई. सी. एफ.), के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :--उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी।

7(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबन्ध--1 पात्र स्त्रोत देशों की सूची

2. अनुबन्ध--2 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध

3. अनुबन्ध--3 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

4. अनुबन्ध--4 साखपत्र का प्रपत्र (आयातों के लिए लागू)

5. अनुबन्ध--5 साखपत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबन्ध--1

पात्र स्त्रोत देशों की सूची

क विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(क--1) विदेश आर्थिक सहयोग से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा
   मिश्र
   मोरक्को
   ट्यूनीशिया

2. अफ्रीका दक्षिण सहारा
   अंगोला
   बेनिन
   बोत्स्वाना
   बरुण्डी
   कैमरोन
   केप वर्डे द्वीप
   मध्य अफ्रीका गणतंत्र
   चाद
   कोमोरो द्वीप
   कांगो, [illegible]

इक्वेटोरियल गुयाना (1)
इथोपिया
गाम्बिया
घाना
गुयाना
आइवरी कोस्ट
केन्या
लेसोथो
लाइबीरिया
मालागासी गणतंत्र
मालावी
माली
मारीशस, मारिटीनिया
मुजाम्बिक
नाइगर
पुर्तगाल गुयाना
रियूनियन
रोडेशिया
रवाण्डा
सेंट हेलिना और द्वीप (2)
साओ टोमो और प्रिंसिपल
सेनेगल
सीचलीज
सीयरे लिओन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैण्ड
टेरो अफगर्स और इसास
टोगो
युगान्डा
तंजानिया गणतंत्रीय संघ
अपरवोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमरीका, उत्तरी और केन्द्रीय
बरमूडा
बारबोडोस
बेलीज
कोस्टा रीका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल सैल्वाडोर
ग्वाटेमाला
हैती
होण्डूरस
जमैका
मारतीनिक
मैक्सिको
नीदरलैण्ड एन्टीलीज
निकारागुआ
पानामा
सेंट पियरे और मिगुलोन
ट्रिनिडाड और टोबेगो

3 अमेरिका, उत्तरी और केन्द्रीय
वेस्ट इंडीज शाखा एन. आई. ई.
(क) सहसम्बन्ध राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

दक्षिणी अमेरिका
अर्जेनटीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
प्रगम
गयाना
पराग्वे
पीरू
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया
बहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमान
सिरियाई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी का. डी. आर. (4)

6 दक्षिण एशिया
अफगानिस्तान
बंगलादेश
भूटान
बर्मा

7 सुदूर पूर्वी एशिया
ब्रुनेई
हांग कांग
ख्मेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैंड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

(1) पहले स्पेन गिनी का प्रदेश फर्नांडो पो के द्वीप सहित।
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—असेन्शन, ट्रिस्टन्डा कुन्हा, इनएक्सेसिबल, नाइटिंगेल, गफ
(3) मुख्य द्वीप समूह, अरुबा, बोनायरे, क्यूराकाओ, साबा सेन्ट यूस्टाशियस सेन्ट मार्टिन (दक्षिण भाग)।

8. पोलिनेशिया

कोक द्वीप समूह

फिजी

गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप

फ्रांसिस पोलिनैशिया (5)

नारू

न्यू कैलेन्डोनिया

न्यू हैब्रिडिस (ब्र. आर.फ.) नियू.

पैसीफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)

पापुवा न्यू गिनी

सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा.)

टोंगा

वालिस और फ्यूना

पश्चिमी सामोआ

भारत

मालद्वीप

नेपाल

पाकिस्तान

श्रीलंका

9. यूरोप

साइप्रस

जिब्राल्टर

ग्रीक

माल्टा

स्पेन

तुर्की

यूगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेंट किस्टोफो) नेविस-अंगुइला, सेंट लुसिया और सेन्ट विसेन्ट

(2) मेन आइलैण्ड, मोन्तेसरत, संमान तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह।

(3) अजमन, दुबई, फजाइरन, रास अल खेमाह शरजाह और उम्म अल क्वेवस।

(4) अदन और विभिन्न सल्तनतस और जमींदारी सहित।

(5) सोसायटी आई लैण्डस समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप, मार्शल द्वीप समूह और मैरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क 2) ओ. पी. ई. सी. के सदस्य व सहयोगी देश

अल्जीरिया

बोलिविया

लीबियाई अरब गणतंत्र

गेबोन

नाइजीरिया

इक्वेडोर

वेनुज्यला

ईरान

ईराक

कुवैत

कतर

सऊदी अरब

साबू-धाबी

इन्डोनेशिया

(ख) ओ.पी.ई.सी. देश

आस्ट्रेलिया

बेल्जियम

कनाडा

डेनमार्क

फिनलैण्ड

फ्रांस

जर्मन गणतंत्र संघ

ग्रीस

आइसलैण्ड

आयरलैण्ड

इटली

जापान

लक्समबर्ग

नीदरलैण्ड

नार्वे

स्पेन

स्वीडन

स्विटजरलैण्ड

टर्की

इंगलैण्ड

अमेरिका

उपाबन्ध—2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए

प्रार्थनापत्र

संख्या

दिनांक

सेवा में

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली—110001

विषय :—येन क्रेडिट सं. आई डी पी ——————(परियोजना सहायता) 1988 के अन्तर्गत जापान से —————— का आयात

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट स आई. डी. पी. ——————(परियोजना सहायता) के अधीन ——————से——————के आयात के सम्बन्ध में ——————(बैंक का नाम) ——————————जो कि वही होना चाहिए, जो नीचे (ड) में सम्बद्ध समुद्रपार संपरक के नाम से साख-पत्र खोलने के लिए दिया गया है, कि प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके——————————क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतिक होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्रोत देशों का आयातित संगठनों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क/लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)।

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में)।

(झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क/लागत और भाड़ा (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक।

(ट) विदेशी संभरक का नाम, पता और राष्ट्रीयता।

(ठ) देयी भुगतान शर्तें और संभावित तिथियां जिनकों संविदा अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ढ) बैंक आफ इंडिया, टोकियों को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)।

(ण) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं) निर्दिष्ट कीजिए।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओ. ई. सी. एफ. को इसे अधिसूचित किया गया है।

(द) क्या साख-पत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्च आयातकों या संभरकों द्वारा वहन किए जाते हैं।

(ध) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—

"हम एतद्द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये को पूरा और सही जमा करने का वचन देते हैं। प्रत्येक निक्षेप माल (आयातित सामग्री) की सुपुर्दगी सौंपने से पूर्व तत्काल ही धनराशियां जमा कराई जाएंगी। विदेशी राष्ट्रीयता वालों की सेवाओं के लिए भुगतानों के मामले में दिए गए ज्यों ही विदेशी संभरकों के सम्बद्ध बीजक हमारे द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएं और संभरकों को भुगतान कर दिया जाए या यों ही धनराशियां जमा करा दी जाएं।"

उपाबन्ध—3

(प्राधिकार पत्र का प्रारुप)

सं.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

बैंक आफ इण्डिया
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)।

विषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं. आई डी पी ——————————————के अधीन आयात साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ दिनांक ——————————को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ——————————————के नाम में—————————— येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ. ई. सी. एफ. भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

3. साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा। भुगतान के साथ ओ. ई. सी. एफ. को आवश्यक दस्तावेज भेज कर दिए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

4. विदेशी संभरक को अदायगी करते समय आपके द्वारा —————————————————(आयातक के बैंक के नाम व पता) मूल पोतलदान दस्तावेज (विनिमय), अतिरिक्त पूर्ण दस्तावेजों के सैट के साथ तथा संभरक को की गई अदायगी का नामे डालने की सूचना तत्काल, अदायगी यदि कोई की गई हो, तो उसकी प्रति भेजी जाए।

5. संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से ओ. ई. सी. एफ. द्वारा आपको उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक के बीच के समय के लिए आपको चुकाए जाने योग्य ब्याज प्रभार, भारत सरकार के लेखे पर प्रभाव डाले बिना सामान्य बैंकिंग स्रोतों के माध्यम से भारत में संबद्ध आयातक के बैंक के साथ आपके द्वारा निर्णीत किए जाएंगे। बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रखरखाव करने और साखपत्रों को आपरेशन करने और सौदा संबंधी दस्तावेजों के संचालन से संबंधित और यदि कोई हो तो विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक/आयातक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही आयातक या संभरकों से प्राप्त किया जाए। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ. ई. सी. एफ. से नहीं किया जा सकता है।

6. जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और उसकी प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाती है तो उसकी सूचना निर्धारित पत्र में इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए।

7 यह प्राधिकार पत्र मद्रास संभरकों के नाम में साख पत्र खोलने के लिए है। साखपत्र के बाद में किए जाने वाले संशोधन या इस प्राधिकार के मद्दे भविष्य में साखपत्र इस मंत्रालय से विशेष प्राधिकार प्राप्त किए बिना वैध नहीं होंगे।

8. यह प्राधिकार पत्र .———————————तक वैध होगा।

9. कृपया इस करार के संबंध में सभी प्रकार के पत्रव्यवहार के ऊपर इस पत्र के ऊपर दी गई संख्या का उल्लेख करें।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक——————————को उनके पत्र सं. ————— दिनांक के ————————के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनियम वस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध करें। यदि-अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के कारण माल की डिलीवरी सीधे ही सीमाशुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली जाती है तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए। विदेशी राष्ट्रीकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान द्वारा अनुमोदित हो जाएं, निक्षेप कर दिए जाएं। निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में उल्लिखित आवश्यक कार्यवाई की जा सकती है।

2. (1) आयातक के बैंकर ———————————यह आयात लाइसेंस संख्या———————दिनांक———————के सन्दर्भ में है। यह प्राधिकार पत्र येन क्रेडिट के अन्तर्गत प्रभावी आयात लाइसेंस शर्तों के बारे में जारी किया गया आयात/विदेशी भुगतान करते समय उचित कार्रवाई के लिए लाइसेंसिंग शर्तों तथा सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना/आदेश आदि को देखें।

2(2) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8—आई. टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की निश्चित दर पर की जाएगी। प्रथम 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 18% वार्षिक दर से ब्याज जो कि संभरक को भुगतान की तारीख बैंक आफ इंडिया को प्रतिपूर्ति की तारीख और जिस तारीख को समतुल्य रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा किया जाता है उन दो अवधियों के बीच की अवधि के लिए गिना गया है उसे भी सार्वजनिक सूचना सं. 31—आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 10-8-83 के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा कराना अपेक्षित है। ब्याज दोनों दिनों के लिए देय है अर्थात वह तारीख जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और यह भी तारीख जिसको भारत सरकार के लेखे में रुपया जमा कराया जाता है। (जब भी इस दर में परिवर्तन किया जाएगा उसे सूचित कर दिया जाएगा)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिये जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान में हाशिये और कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 184—आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8 68, 233—आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-1968, 132—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971, सं. 74—आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974, सं. 103 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है वे "के डिपाजिटस एण्ड एडवांसिंग-843—सिविल डिपाजिट्स-डिपाजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा अब्रोड अंडर परचेजिज क्रेडिट लोन एग्रीमेंट्स" लोन फार द गवर्नमेंट आफ जापान—विलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी फार है।

जिन मामलों में तय रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल' यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्णित हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरक को भुगतान करने की तिथि और ओ. ई. सी. एफ. द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी अदायगी की तिथि के बीच की अवधि के लिए बैंक सूत्रों के माध्यम से भारत सरकार के लेखे पर प्रभाव डाले बिना बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ निर्णित किए जाएंगे।

3 निदेशक' ऋण विभाग—2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि टाकावासी रोड बिल्डिंग, 4—1 ओहाट मेची—1 कोमे, चियोडा कू टोकियो 100 जापान।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

उपाबन्ध-4

प्रपत्र ओ.ई.सी.एफ., एल. सी-1

अपरिवर्तनीय साखपत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक :

सेवा में

.....यह साखपत्र (ऋणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार सं. दिनांक..... के अनुसरण में जारी किया गया है ।

महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमने आपके नाम में हमसे निकाले जाने वाले बीजक के पूरे मूल्य के लिए ड्राफ्टों द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए अपरिवर्तनीय साख पत्र सं..... खोल दिया है जो.....(अर्थात् येन) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है । इसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक समुद्री पोतलदान बिल जिनमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट ही ब्लैंक पृष्ठांकित एवं निहित ("फ्रैट" एवं "नोटिफाई" अंकित किए हुए अन्य दस्तावेज । प्रमाणित पोतलदान (माल के लदान का संक्षिप्त विवरण) संविदा सं..... (यदि कोई हो) के संदर्भ में..... से.....आंशिक पोतलदान स्वीकृत है । वाहनांतरण स्वीकृत है । लदान बिल.....के बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए । ड्राफ्ट.....तक बातचीत के लिए अवश्यक प्रस्तुत किए जाने चाहिए । इस ऋण के अंतर्गत सभी ड्राफ्ट तथा दस्तावेजों पर "अपरिवर्तनीय साखपत्र सं..... दिनांक .....के अंतर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ सं..... (संख्याएं यदि कोई हो) अंकित होना चाहिए ।"

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है ।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस ऋण और इसकी शर्तों के अंतर्गत जारी किए गए और इसकी शर्तों का अनुपालन करके जारी किए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और अहर्ता को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न उल्लेख किया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टमस एण्ड प्रक्टिस फार डाक्यूमैंटरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स ब्रोचोर सं. 290" के अधीन है । लेन-देन करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश ।

1. उपर्युक्त ऋण समझौते के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम लेन-देन वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ड्राफ्टों की धनराशि को लौटा देंगे ।

2. लेन-देन करने वाले बैंक को यह बताते हुए ड्राफ्टों और दस्तावेजों के एक पूरे सैट के साथ एक प्रमाणपत्र अवश्य भेजना चाहिए कि शेष दस्तावेजों के सीधे ही हवाई डाक द्वारा.....को भेज दिए गए हैं ।

3. इस क्रेडिट के अंतर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातक/संभरक के लेखे के लिए है ।

भवदीय,

.....

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साखपत्र सं.....का अभिन्न अंग है ।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि.....येन जो कि कुल संविदा मूल्य के.....प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज :

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि.....येन जो कि कुल संविदा मूल्य का..... प्रतिशत है ।

अपेक्षित दस्तावेज :

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

3. पोतलदान दस्तावेजों के मुद्दे भुगतान

धनराशि .....येन जो कि कुल संविदा मूल्य का..... प्रतिशत है ।

टिप्पणी :—पोतलदान दस्तावेजों के मुद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इसे संलग्न दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है ।

—

उपाबन्ध-5

(प्रपत्र ओ.ई.सी. एफ-एल सी-2)

(अपरिवर्तनीय साख-पत्र)

(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक :

सेवा में

.....यह साखपत्र (ऋणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार..... सं० .....दिनांक के अनुसरण में (संभरक का नाम व पता) जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण ब्यौरें मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एवं साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं..... खोल दिया है जो येन.....(येन.....) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है ।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (परियोजना के संबंध में ठेका सं. . . . .) से संबंधित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट . . . . से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर अपरिवर्तनीय क्रेडिट सं. . . . . के अन्तर्गत ड्राम लिखा होना चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाये गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किये जायेंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाये, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम्स एण्ड प्रैक्टिस फार डाकूमेंटरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स ब्रोचर नं. 920" के अधीन है। सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश।

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किये गये निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किये जाने चाहिएं। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाये लाभकारी विवरण की आवश्यकता है।
2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किये गये वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का वचन देते हैं।
3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे।
4. इस साखपत्र के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातकों/संभरकों के लेखे के लिए हैं।

भवदीय,

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा . . . .

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं. . . . . का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि . . . . येन

कुल संविदा मूल्य का . . . . प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज : लाभकारी का विवरण

अंतिम भुगतान तिथि :

2. भुगतान वृद्धि।

सम्पूर्ण योग : धनराशि . . . . येन

कुल संविदा मूल्य का . . . . प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाता है :—

देय धनराशि	अंतिम भुगतान तिथि
. . . .	. . . .
पहली किस्त, येन	. . . .
दूसरी किस्त येन	. . . .
. . . .	. . . .

अपेक्षित दस्तावेज : (ऋणी अथवा उसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति निम्न एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक

संदर्भ

सेवा में

. . . .

. . . .

. . . .

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ :—ऋण करार सं. . . . . . के अन्तर्गत . . . .

परियोजना से संबंधित . . . . के नाम के . . . .

येन के लिए . . . . द्वारा जारी किए गए

साखपत्र की सं. . . . . दिनांक . . . . .

मैं अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋण) एतद्द्वारा . . . . और . . . . के बीच समझौता सं. . . . . दिनांक . . . . . में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्र पार आर्थिक सहायता निधि द्वारा . . . . को धनराशि (. . . . . येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।

. . . .

(ऋणी)

द्वारा . . . .

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश :—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 58 ITC (PN)/88-91

New Delhi, the 4th October, 1988

SUBJECT : Licensing conditions in respect of import of equipment and services under the Yen Credit of Yen 2,000 Billion for installation of Additional in Plant Power Generation facility (12 MW Steam Turbine Generator at Cochin division of FACT.

F. No. IPC|23(46)|88-91.—The terms and conditions governing import of equipment/services under the Yen Credit of Yen 2.000 Billion for installation of additional in plant power generation facility (12 MW steam turbine generator) at Cochin Division of Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT) is given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 58-ITC(PN)/88-91, dated 4-10-1988

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORT OF EQUIPMENT AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT OF YEN 2,000 BILLION FOR INSTALLATION OF ADDITIONAL IN PLANT POWER GENERATION FACILITY (12 MW STEAM TURBINE GENERATOR) AT COCHIN DIVISION OF FACT

Section I—General Conditions.

I (i) The Yen Credit of Yen 2.000 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the Import requirements of the Cochin Divisions of FACT is untied in favour of Japan and developing countries including India and all member countries of OECF. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be procured from Japan and all countries (including India) enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import Licence(s) issued under this credit should not exceed yen 2.000 billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the Exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in body of the import Licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)|74 dated the 6th June, 1974 issued by CCI&E, which also enjoints that the Customs Authorities and the auhorised dealers in foreign exchange will make debt to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s) the licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 51 .. The first and second sumx to the licence code will be "S|JC". This will also be repeated in the letter from CCI&E forwarding the import licence to FACT a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Japan Section).

I (iii) Import Licence(s) can be issued only in favour of FACT on CIF basis.

I (iv) Depending on the convenience of importer more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed yen 2.200 billion (CIF) as specified at (ii) above.

I (v) The extension of the validity of the import Licence may on application by importer, be granted upto a further period of 12 months. Any request for further extension/issue of a fresh import licence may be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB|C&F basis on the overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Insurance charges will be payable in India in Indian Rupees. "Firms Order" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the overseas supplier. Orders on Indian agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 monhs. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred

by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi, who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the esablishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as followed.

"..... Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of ....."

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-1992.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II (i) The FOB|CIF value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian ruppees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be English only.

II (ii) Procurement of all goods and services to be financed out of the proceeds of the loan shall be made in accordance with the guidelines for procurement under the loan with the following supplemental stipulations :—

(a) In case of procurement of goods and services of value estimated to be not less than 500 million Yen.

(i) Prior approval of OECF shalle be obtained if it is proposed to adopt procurement procedure other than the Open International Tendering with prequalification, submitting to OECF an application for approval of procurement method.

(ii) Prior to issuing a notice of award to successful bidder, the application for approval of award with bid evaluation report shall be submitted to OECF for approval. Alongwith the above application for approval of award and bid evaluation, the evaluation report of pre-qualification and drawings and other docubid forms, proposed contract, specification and lrawings and other documents related to holding will also be submitted to OFCE for its review.

(b) In case of procurement of goods and services of value estimated to be less than yen 500 million prior approval of OECF is not required for award of contract on the condition that tenders lots are divided reasonably. However, if OECF requests, the tender evaluation reports etc. will be submitted to OECF for its review.

(c) The application|documents mentioned in (a) (i), (a) (ii) and (b) above will be submitted by the importer to Department of E.A. in duplicate, for submission to OECF.

II. (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID–P51 for 1987-88 the details of which are given in Section VII below.

II (iv) Eligibility of supplier

The suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or jurisdical persons incorporated and registered in eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (v) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than fifty per cent (50 per cent) of the price per unit of such products in accordance with the following formulae.

$$\frac{\text{IMPORTED CIF PRICE —Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

(In case of Indian supplier, Ex-factory price shall be adopted)

II. (vi) Declaration in Contract

The following declaration as to the eligibility of the goods and supplier, signed and dated by the supplier, shall be added to each contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in ————————(name of eligible source country).

I undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than fifty per cent (50 per cent) in accordance with the following formulae

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price—Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price.}} \times 100$$

(Where applicable Ex-factory price)

"I the undersigned, hereby certify that———— (Name of the company) has been incorporated and registered in——— ————(Name of eligible source country), and is controlled by nationals of———— (name of eligible source countries concerned)".

Section-III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 10th February, 1988 concerning the Yen Credit No. ID-P-51 (Project Aid) for Haldia Port Modernization Project.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the loan Agreement No. ID-P.51 dated 10th February, 1988 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II (VII) above.

(e) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India atleast six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian Importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a coble advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India Tokyo.

Section IV : Review of Contract by OECF :

IV (i) Within stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both the importer and the supplier supported by order confirmation in writing by the supplier or their photocopies complete in all respects, together with two photocopies of the relevant and valid import licensee and two copies of the "Request for issue of L.A." in the form in Annexure II to the Department of Economic Affairs.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of the contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (Deptt. of EA) will send Notice of conclusion of contract alongwith a copy of the Contract to OECF for its review. A copy each of the Notice of conclusion of Contract accompanied by the Contract will also be sent by Department of E.A. to Embassy of India, Tokyo and Office of CAA&A alongwith one copy each of "Request for issue of I.A." and photocopy of import licence.

Section V—Payment to the Overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V (i) On receipt of the Notice of conclusion of contract and contract documents the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, the CAA&A will issue a letter of autorisation as in the form attached as Annexure-III addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-IV (for imports) or Annexure-V (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to OECF; the Embassy of India, Tokyo, the importer of the Importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority. the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of Credit as per Annexure-IV (applicable to imports) or V (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the Importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authoriiy from CAA&A would ipso-facto apply to all such amendments to letter of authorisation|letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OEFC.

A letter of commitment will be issued by the OECF on receipt an amount equal to one-tenth per cent (0.1 per cent) of the contract value. This amount will be paid to itself from the loan|funds by OECF. The importer is required to deposit into the Govt. of India account the rupee equivalent of this letter of commitment charge on receipt of intimation of the payment from OECF or from the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Interest from the date of payment to OECF to the date of rupee deposit (both dates inclusive) at prevailing rates will also have to be paid by the importer.

A similar charge of 0.1 per cent is payable by the importer under the reimbursement procedure also.

V(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges if any of overseas supplier's bankers are to be borne by the supplier|improper. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importers bank in India by remittance to the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

V (v) Reimbursement Procedure

Procedure for disbursement of the proceeds of the loan for the purchase of goods and services from Indian suppliers shall be in accordance with REIMBURSEMENT PROCEDURE of the loan agreement.

Section VI : Responsibility for rupee deposit :

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importers as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or SBI, Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @12 per cent per annum for the first 30 days & @18 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas supplier to the date of actual rupee deposit have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 4-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 and Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dt. 10-8-83.

The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importer's Banker from Bank of India, Tokyo will not be acceptable as reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of tht Yen payments made to the overseas suppliers will be composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method precribed in Public Notices No. 109-II(PN)|74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India . Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their Bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amount due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the good, from the Customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further IAS to him may be stopped and the matter reported to CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchase etc. abroad-Purchase under Credits| Loan agreements" Loan from the Government of Japan 2,000 Billion Yen Credit No. ID-P-51 for the Cochin Division of FACT.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the Credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating code No. 5130000009 the right hand corner of the Challan or State Bank of India Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)|68 dated 30-8-1968 No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976.

VI (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Araist). While filling in the various columes in the challan it should be ensured by the importers|their bankers that information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN) 71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the Challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the Rupee deposits should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VII—Miscellaneous provisions.

VII (i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipment and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VII (ii) Notifying suppliers of Special Conditions.

The licence should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII (iii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-II under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VII (iv) Future Instructions.

The licencee shall promptly comply with any directions instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No ID-P-51 with the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF).

VII (v) Breach or violation.

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VII (vi) List of Annexures

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II Request for issue of Letter of Authority.

Annexure—III Form of Letter of Authority.

Annexure—IV Form of Letter of Credit (Applicable to imports).

Annexure—V Form of Letter of Credit. (Application to services).

ANNEXURE I.

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing countries and Territories

(a) Non-OPEC Developing Countries.

I. AFRICA, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara
Angola
Benin
Bostwana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central Africal Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea(1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and Dep (2)
Sao Tomo and Principle
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro, Afars and Issas
Togo
Uganda
Ut. Rep.of Tanzia
Upper Volta
Suire Republic
Zambia.

III. AMERICA, North and Cent.
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El. Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago.

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following Islands:Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingle, Gough

(3) Main Islands, Aruba, Conaire, Curacao, Saha, St.

III. AMERICA, North & Central—Contd.

West Indies (sr.) n.i.e.

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

V. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Flakland Island
French Guinea
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay.

V. ASIA, Middle East.

Baharain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates(3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R.(4)

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka.

VII. ASIA, Far East.

Brunei
Hong Kong
Khemer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Vietnam, Rep. of
Vietnam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Cook Lalands
Fiji
Gilbert & Ellice Is
French Polynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New Hebrices (Br. & Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br)
Tonga.
Wallisand Futuna
Western Samoa.

IX. EUROPE

Cyprus
Gibrlter
Greece
Malta.
Spain
Turkey.
Yogoslavia.

1. Main Island: Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts St. Caristopher, Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent

2. Main Islands:Monteserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

3. Ajman, Dubai, Fugairah, Rasal Khaimah Sharjah and Ummal Quaiwain.

4. Including Aden and various sultanates and emirates,

5. Comprising the Society Islands (including Tahiti) The Austral Islands, the Tumotu-Gambier Group and the Marquesad Islands.

6. Trust Territory of the Pacific Islands:Caroline Islands Marshall Islands and Marine Islands (except Tuam.)

A. Member of Association countries of OPEC.

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qutar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia.

B. OPEC Countries.

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxemburg
The Netherland
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
The United Kingdom &
The United States.

ANNEXURE-II

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi - 110001.

Sub : Import of From ———— under the Yen Credit No. ID-P- ———(Project Aid for 198 -8)

Sir,

In connection with the import ———— from ——— under the above mentioned Yen Credit No. ID-P —— (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the —— (name of the Bank) which should be the same as given in (p) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date up o which it is valid.

(c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the con-

tract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import componets from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross POB/C&F value of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any.

(i) Net POB/C&F value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and address of the Overseas supplier :

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if transhipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India

(q) Whether a contract (s) under the same licence has been placed and notified to the Japanse authorities, and If so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

(r) Whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of letter of Credit are to be borne by the Importer/or supplier.

(s) Undertaking by the importer : —

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc. of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promtply before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the suppliers."

ANNEXURE - III.

No.F.

GOVERNMEMT OF INDI

MINISTRY OF FINANCE

Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Sub :

Important under Yen Credit (project Aid)
Loan Agreemet No. ID-P ——— Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and condition, of the agreement dated 25-3-1980 - entered into with your Bank, you are hereby authorire to open irrevocable Letter of Credit for an amount Not exceeding Yen ——— favouring M/s. ——— per attached details.

2. A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importers Bank, to the OECF, Embassy of India, Tokyo and to us,

3. Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary do cument to the OECF.

4. On making payment to the freign supplier you should send to ——— (Name and address of the importers Bankers) the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the cocuments and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. Interest charges payable to you, for the time lag between the date of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned Importers bank in India therough norWal banking channels without affecting the Government of India s account. Thcoother banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas supplier/importers if any are tobe borne by the overseas supplier importer and may, therefore, be recovered from the supplier/importer directly. No. reimbursement of such charges is to be claimed from the lier, /importer

6. As and when payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

7. This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specified authority from this Ministry.

8. This Letter of Authority willremain valid upto———.

9. Please quote the number given at the top of this letter of instructions in all correspondence relating to the contract and also in the advice showing payment.

Yours faithfully,
(Accounts Officer)

Copy forwarded to : —

1. Importer ——— with reference to their letter No. ——— dated ———.

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner before taking delivery of the negotiable documemnts from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing' the original shipxing documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the

relevant invoices are approved for payment. Failure to take the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing conditions.

2. (i) Importers' Banker.......... This has reference to import Licence No. D. . This letter of authorisation issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen Credit. The licensing conditions and connected Public Notice/order etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the Emport/foreign payments.

2(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the supplies will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to the overseas suppliers in accordance with the Public Motice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @12% per annum for the first thirty days, and at the rate of 18% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursemanet Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account is also required to be deposited into the Government Account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas suppliers and also the date on which rupee deposits is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the SBI, Tis Hazeri, Delhi. In this connection, their attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 184 ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, 233-ITC(PN)/68 dated 24.10.1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5.10.1971, No. 74-ITC(PN/74 dated 31.5.1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-Civil Deposits-Deposit for purchases etc abroad under purchases under Credit/Loan Agreements"-Loans from the Government of Japan—— —— billion Yen Credit (project Aid) No. ID-P- ——— for 198 -8 -

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Pubic Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24.10.1968 mentioned above, intimations therof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this DepartWent.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the date of payment to the supplier and the date of its reimbursement to theBank of India, Tokyo by the OECF shall be settled firectly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without) affecting the Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Gode Building, 4-1, Othe-Wachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, N. Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE—IV

Form OECF—LC I

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for Goods)

Date:

To

———————

———————

This letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.——————
Dated:——————
between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrecourable Credit No.———in your favour for account of——— for a sum of sums not exceeding an aggregate amount of ——— (Say Yen——————) available by your drafts at sight for full invoice value drawn to us to be accompanies by the following documents:—

Signed commercial invoice in full set of clean on borad ocean bills of lading made out to order and balnk endorsed and marked "Freight and Notify" other documents.

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to contract No........ (if any) from ....to......... partial shipments are ....permitted. Bills of lading must be dated not later than ....Drafts must be presented for negotiation not later than

All Drafts and documents under this credit must be marked.... irrevocable Credit No......... dated and Import Reference No(s). (if any).

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentations and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revisions), InternationalChamber of Commmerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating banks:

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND is accordance with the provisions of the Letter of

Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remitte the account of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents)to us together with the certificates stating that the remaining documentt have been airmailed direct to——————.

3. All banking charges under this credit are for the account of importer/supplier.

Yours faithfully,

————————

(a commercial bank)
By:————— ——————
(Authorised signature)

This payment terms constitutes and integral part of our Letter of Credit No.——————————.

I. Initial Payment
Amount: Y ——————————————————
being——————% of the total contract price.
Required documents:
Latest Presentation date:

II. Intermediate Payment (if any)
Amount: Y ——————————————————
being——————% of the total contract price.
Required documents:
Latest presentation date:

III. Payment against shipping Documents
Amount : Y ——————————————————
being——————% of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE—V.

Form OECF—LC. II

Irrevocable letter of Credit
(Applicable for Service)

To

——————————

——————————

(Name & Address of the Supplier)

Date:

This letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.————dt.———— between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable Credit No.—————in your favour for account of for a sum of sums not exceeding an aggregate amount of Y——————— (Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning, Contract No.——————— with regard ot———————— Project. Drafts must be presented for negotiation not later than.

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable Credit No.

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and de ivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), Internationa Chambers of Commerce Brochure No. 290."

Special instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original statement of Performance issued by (Borrower of its designated authority) inaccordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the payment schedule stipulated in the heet attached hereto. In case of the initial payment the beneficiary's statement required in tead of the above mentioned statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment for the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the aobve-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the documents as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplper.

Yours faithfully,

————————

(a commercial bank)
By: ——————
(Authorised Signatcre)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of credit No.................

I. Initial Payment

Amount : Y——————————
being——————% of the total contract price
Required documents : beneficiary's statement
Latest presentation date:

II. Progress Payment:

Aggregate amount : Y——————————
being..........% of the total contract price to be paid as follows

	Amount due	Latest presentation
	————	————————
1st Instalment: Y	————	————————
2nd Instalment: Y	————	————————
....		....
Required document :	A copy of State of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.	

STATEMENT OF PERFORMANCE

Date:

Ref. No.:

To

————————

————————

(Name and Address of the Supplier)

Re: Letter of Credit No.————, dated issued by———————— for Y————————in favour of———————— ————concerning———————— Project under Loan Agreement No.————.

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issued a statement of Performance to entitle ————————to receive the sum of Y———————— (Yen Only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment, Terms stipulated in the Contract No.————————, dated ————————between————————and ————————.

————————

(Borrower)

By:

————————

(Authorised Signature)

Special Instructions:
The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988